

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(ब.घो.)(क्रमोन्नत)डीएलबी / 23–24 / १००६ दिनांक: १९/०४/२०२३

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सप्तित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगर पालिका नीमकाथाना .( जिला सीकर ) को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका से तृतीय श्रेणी नगर पालिका में क्रमोन्नत किया जाता है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

~~(हृदेश कुमार शर्मा)~~

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(ब.घो.)(क्रमोन्नत)डीएलबी / 23–24 / १००७-१००८ दिनांक: १९/०४/२०२३

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री / मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
03. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर को अतिरिक्त पद एवं व्ययभार स्वीकृति हेतु ।
04. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
06. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर ।
07. निदेशक, जनगणना विभाग, झालाना डूंगरी, राज. जयपुर ।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर ।
09. संभागीय आयुक्त जयपुर एवं जिला कलेक्टर सीकर राजस्थान ।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर ।
11. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 10 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु ।
12. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय को भेजकर निवेदन है कि उक्त नगरीय निकाय में अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही कराने का श्रम करावे ।
13. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान ।
15. आयुक्त / अधिशासी अधिकारी नगरीय निकाय नीमकाथाना को भेजकर लेख है कि अविलम्ब अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रभावी/मान्य होगा । अतः वित्तीय सलाहकार निदेशालय को आवश्यक प्रस्ताव भिजवावें ताकि वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जा सकें ।
16. उप निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय को मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा की अनुपालना में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
17. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
18. सुरक्षित पत्रावली ।

*lily*  
(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी